

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo bageshwar@rediffmail.com

दूरभाष एवं फ़ैक्स नं०: 05963-220249 वन मित्र काल सेटर- 9208008000

पत्रांक 2489/ 12-1-2
सेवा में,

बागेश्वर

दिनांक : 10/01 /2025

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय - जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत पाली जमन सिंह के मकान से पाली होते हुये लीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.80 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या-20732/2016)

सन्दर्भ- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक सं० 191/FP/UK/ROAD/20732/2016 देहरादून दिनांक 15.07.2022।

महोदय,

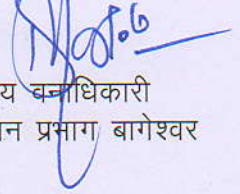
उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियां लगायी गयी थी। प्रस्तावक विभाग द्वारा आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं० 1	प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाइन अपलोड करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। (पेड़ों की सूची संलग्न)
2	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। (पेड़ों की सूची संलग्न)
3	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना 7 मी० एवं 9 मी० ROW में अलग-अलग करते हुये कुल प्रभावित पेड़ों की व्यासवार सूची ऑनलाइन अपलोड करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना 7 मी० एवं 9 मी० ROW में अलग-अलग करते हुये कुल प्रभावित पेड़ों की व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। (पेड़ों की सूची संलग्न)
4	प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाइन अपलोड करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है। (पेड़ों की सूची संलग्न)
5	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की DSS Analysis की रिपोर्ट अपलोड नहीं की गयी है। उपरोक्त हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सं० 2044/1-42(111) दिनांक 22.02.2022 एवं शासन के पत्रांक सं० 290/X-3-22/5(03) 2019 के द्वारा पूर्व में लिखा गया है। अतः DSS Analysis की रिपोर्ट अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव में अपलोड करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की DSS Analysis की रिपोर्ट संलग्न है।
6	प्रस्ताव में संलग्न Kml File में मलवा निस्तारण स्थल नहीं दर्शाये गये हैं। मलवा निस्तारण स्थलों को Kml File में दर्शाने का कष्ट करें।	Kml File में मलवा निस्तारण स्थल दर्शा दिये गये हैं तथा ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के ई0डी0एस0 पत्र दिनांक 31.12.2020 में उल्लिखित समस्त बिन्दुओं का अवलोकन कर सभी बिन्दुओं की परिपूर्ण आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भारत सरकार के ई0डी0एस0 पत्र दिनांक 31.12.2020 में उल्लिखित समस्त बिन्दुओं की आख्या आपके कार्यालय पत्रांक सं0 2977/12-1-2 दिनांक 07.02.2022 द्वारा वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊ वृत्त अल्मोड़ा को ऑनलाइन एवं आफलाइन प्रेषित किया गया था। (छायाप्रति संलग्न)।

भवदीय,



प्रभागीय वनधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर